

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0/ /21, लखनऊ:दिनांक: 19 , अप्रैल-2021,  
-आदेश-

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-फैजाबाद ने अपने पत्र संख्या-118/2021 दिनांक 16.04.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष फैजाबाद टैक्स बार एसोसियेशन तथा श्री बृजेश चन्द्र मिश्र, अध्यक्ष साकेत टैक्स बार एसोसियेशन ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिनांक 19.04.2021 व दिनांक 20.04.2021 के लिये गठित युगल पीठ को स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में वाट्सऐप द्वारा टैक्स बार एसोसियेशन द्वारा पत्र भी प्राप्त हुआ है।

सदस्य पीठ-फैजाबाद द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 16.04.2021 में उल्लिखित परिस्थितियों एवं टैक्स बार एसोसियेशन फैजाबाद द्वारा प्रेषित पत्रों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में गठित युगल पीठ दिनांक 19.04.2021 व दिनांक 20.04.2021 निरस्त की जाती है।

तदनुसार सम्बन्धित को अवगत कराया जाये।

ह0/20.04.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:- वा0क0अधि0/यु0पी0/ 798 /2021, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-फैजाबाद।
2. श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष फैजाबाद टैक्स बार एसोसियेशन।
3. श्री बृजेश चन्द्र मिश्र, अध्यक्ष साकेत टैक्स बार एसोसियेशन।
4. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक/विवरण/कम्प्यूटर/मुख्यालय।

माननीय अध्यक्ष, महोदय की आज्ञा से,



निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0/ /21, लखनऊ:दिनांक: 19, अप्रैल-2021,

-आदेश-

प्रभारी सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-गोरखपुर ने अपने पत्र संख्या-119/2021 दिनांक 19.04.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री एजाज रिजवी, एडवोकेट अध्यक्ष टैक्स बार एसोसियेशन, गोरखपुर एवं श्री प्रभा शंकर पाठक, टैक्स एडवोकेट एसोसियेशन, गोरखपुर ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिनांक 26.04.2021 व दिनांक 28.04.2021 के लिये गठित युगल पीठ को स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में वाट्सऐप द्वारा टैक्स बार एसोसियेशन द्वारा पत्र भी प्राप्त हुआ है।

प्रभारी सदस्य पीठ-गोरखपुर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 19.04.2021 में उल्लिखित परिस्थितियों एवं बार एसोसियेशन गोरखपुर द्वारा प्रेषित पत्रों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में गठित युगल पीठ दिनांक 26.04.2021 से दिनांक 28.04.2021 निरस्त की जाती है।

तदनुसार सम्बन्धित को अवगत कराया जाये।

ह0/20.04.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:- वा0क0अधि0/यु0पी0/ 799 /2021, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-गोरखपुर पीठ - लखनऊ
2. श्री एजाज रिजवी, एडवोकेट अध्यक्ष टैक्स बार एसोसियेशन, गोरखपुर।
3. श्री प्रभा शंकर पाठक, टैक्स एडवोकेट एसोसियेशन, गोरखपुर।
4. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक/विवरण/कम्प्यूटर/मुख्यालय।

माननीय अध्यक्ष, महोदय की आज्ञा से,



निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

